राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	अधिवक्तागण
1.	1504 / 2025	मीनाक्षी	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख मुख्य वन सरंक्षक (प्रशासन), वन विभाग, अरण्य भवन, जयपुर एवं अन्य	श्री शोभित तिवारी
2.	2398 / 2025	नरेन्द्र सिंह	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय जयपुर एवं अन्य	श्री अमित पारीक

आदेश की दिनांक : 21.04.2025

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. अपील संख्या–1504 / 2025 में अपीलार्थी मीनाक्षी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी जो क्षेत्रीय वन अधिकारी के पद पर कार्यरत है, का स्थानान्तरण आदेश क्रमांक 151 दिनांक 15.01.2025 के द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी विकास, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर से रेंज नोहर, उप वन संरक्षक हनुमानगढ़ में किया गया था, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 16.01.2025 को कार्य ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात आदेश क्रमांक 301 दिनांक 15.01.2025 के अन्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर से रेंज ईकाई बज्जू, कार्यालय उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, बीकानेर में किया गया, जो उचित नहीं है। उपरोक्त अपील में अधिकरण ने आदेश दिनांक 25.02.2025 के द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश पारित कर अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 की कियान्विति स्थगित रखी थी एवं यह आदेश पारित किये थे कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावे, जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत थी।
2. अपील संख्या–2398 / 2025 में अपीलार्थी नरेन्द्र सिंह के अधिवक्ता ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी रेंज भादरा, उप वन संरक्षक हनुमानगढ में कार्यरत था, जिसका स्थानान्तरण आदेश क्रमांक 301 दिनांक 15.01.2025 के द्वारा रेंज नोहर उप वन संरक्षक, हनुमानगढ में किया गया था और निजी प्रत्यर्थी मीनाक्षी का स्थानान्तरण रेंज ईकाई बज्जू, कार्यालय उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, बीकानेर में किया गया था। अधिकरण द्वारा स्थगन आदेश पारित किये जाने के

उपरान्त अपीलार्थी के सम्बन्ध में आदेश दिनांक 18.03.2025 पारित कर अपीलार्थी को कार्य व्यवस्थार्थ रेंज में वन विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य तथा वन सुरक्षा, संरक्षण आदि सम्पादन हेतु लगाया गया है। उक्त आदेश दिनांक 18.03.2025 को अपीलार्थी नरेन्द्र सिंह ने इस अधिकरण के समक्ष चुनौती दी है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को कार्य व्यवस्थार्थ लगाया जाना उचित नहीं है एवं उक्त आदेश नियम विरूद्ध है। अपीलार्थी नरेन्द्र सिंह को आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा रेंज नोहर उप वन संरक्षक, हनुमानगढ में लगाया गया था। अतः निजी प्रत्यर्थी मीनाक्षी को रेंज नोहर में पदस्थापित रखा गया है और अपीलार्थी को रेंज में ही अन्य कार्य आवंटित किया गया है। अपीलार्थी को कार्य व्यवस्थार्थ कार्यरत रखा जाना नियम विरूद्ध है।

3. हमनें पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। हम पाते हैं कि आदेश क्रमांक 151 दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी मीनाक्षी का स्थानान्तरण क्षेत्रीय वन अधिकारी विकास, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर से रेंज नोहर, उप वन संरक्षक हनुमानगढ में किया गया, जहां पर अपीलार्थी मीनाक्षी ने कार्य ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात दिनांक 15.01.2025 के पश्चातवर्ती आदेश क्रमांक 301 के द्वारा अपीलार्थी मीनाक्षी का स्थानान्तरण क्षेत्रीय वन अधिकारी विकास, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर से रेंज ईकाई बज्जू, कार्यालय उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, बीकानेर किया गया, जबकि पूर्व स्थानान्तरण आदेश की पालना में अपीलार्थी ने कार्यग्रहण कर लिया था। हम पाते हैं कि जब अपीलार्थी मीनाक्षी ने दिनांक 15.01.2025 के पूर्व आदेश के अनुसार पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर लिया, तो अपीलार्थी मीनाक्षी का पुनः स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं था। हम यह भी पाते हैं कि आदेश दिनांक 15.01.2025 के अन्य आदेश क्रमांक 301 से अपीलार्थी नरेन्द्र सिंह का स्थानान्तरण रेंज नोहर, हनुमानगढ में किया गया था, जहां पर पूर्व में अपीलार्थी ने मीनाक्षी ने कार्यग्रहण कर लिया था। ऐसे में अपीलार्थी नरेन्द्र सिंह का स्थानान्तरण रेंज नोहर में किया जाना उचित नहीं है, क्योंकि वहां पर पूर्व में ही अपीलार्थी मीनाक्षी ने कार्यग्रहण कर लिया था। अतः हम यह पाते हैं कि रेंज नोहर में वर्तमान में एक ही पद पर दो कार्मिक कार्यरत हो चुके हैं। नरेन्द्र सिंह को पश्चातवर्ती आदेश के द्वारा रेंज नोहर में पदस्थापित किया गया था, जो उचित नहीं है।

4. उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थी मीनाक्षी एवं अपीलार्थी नरेन्द्र सिंह के सम्बन्ध में पारित स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश क्रमांक 301 दिनांक 15.01.2025 निरस्त किया जाता है। हम यह भी पाते हैं कि अपीलार्थी नरेन्द्र सिंह को वर्तमान में

कार्य व्यवस्थार्थ लगाया गया है, जो उचित नहीं है। अतः अपीलार्थी नरेन्द्र सिंह के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी नरेन्द्र सिंह का नये सिरे से पदस्थापन/स्थानान्तरण आदेश एक माह की अवधि में जारी करे। ऐसे स्थानान्तरण आदेश पर प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा, क्योंकि अपीलार्थी नरेन्द्र सिंह का पूर्व में ही आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा स्थानान्तरण किया जा चुका था।

5. उपरोक्त आदेश के साथ दोनों अपीलों का निस्तारण किया जाता है।
6. मूल आदेश अपील संख्या 1504/2025 में सलंग्न किया जाये एवं आदेश की फोटोप्रति अन्य अपील में सलंग्न की जाये।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष